न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जे0एन0मथुरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या 93/2016 (225 आर.टी.एक्ट)

आर.सी.एम.एस.नम्बर–2015/00217

उनवानी :–

1– रमसो पुत्र भिक्कन जाति गुर्जर हाल निवासी ग्राम ईशापुर कटारा तहसील नदबई व जिला भरतपुर।

2– मुक्ति पत्नी रमसो जाति गुर्जर हाल निवासी ग्राम ईशापुर कटारा तहसील नदबई व जिला भरतपुर।

3– रामहेत पुत्र भुल्ली जाति गुर्जर हाल निवासी ग्राम ईशापुर कटारा तहसील नदबई व जिला भरतपुर।

4– अमरी पत्नी रामहेत जाति गुर्जर हाल निवासी ग्राम ईशापुर कटारा तहसील नदबई व जिला भरतपुर।

5– अज्जो पत्नी लल्लू जाति गुर्जर हाल निवासी ग्राम ईशापुर कटारा तहसील नदबई व जिला भरतपुर।

6– रज्जो पत्नी बिजेन्द्रर सिंह जाति गुर्जर हाल निवासी ग्राम लहरवाडा तहसील नगर जिला भरतपुर।

7– लहरी पुत्र छज्जू जाति गुर्जर निवासी ग्राम परमदरा तहसील डीग जिला भरतपुर।

8– रामजीत पुत्र लहरी जाति गुर्जर निवासी ग्राम परमदरा तहसील डीग जिला भरतपुर।

9– रामदेव उर्फ रामहेत पुत्र रूगन जाति गुर्जर निवासी ग्राम परमदरा तहसील डीग जिला भरतपुर।

10–लक्खो पुत्र छज्जू जाति गुर्जर निवासी ग्राम परमदरा तहसील डीग जिला भरतपुर।

अपीलांट————————

बनाम

1– शिब्बो पुत्र छुटटन जाति गुर्जर निवासी ग्राम परमदरा तहसील डीग जिला भरतपुर।

2– बिज्जो पुत्र छुटटन जाति गुर्जर निवासी ग्राम परमदरा तहसील डीग जिला भरतपुर।

3– अमरचंद पुत्र छुटटन जाति गुर्जर निवासी ग्राम परमदरा तहसील डीग जिला भरतपुर।

रेस्पो0————————

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायाल उप खंड अधिकारी राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प परमदरा दिनांक 16.06.2015 मु0न0 285/2014 उनवानी शिब्बो व अन्य बनाम रमसो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः—

1— वकील अपीलांट श्री पंकज कुमार एड़0

2— वकील रैस्पो0 श्री विजय सिंह कुन्तल एड0

निर्णय दिनांक 07.02.2018

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 3398/0.23, 3409/0.19, 3410/0.13, 3411/0.16, 3412/0.19, 3417/0.23, 3418/0.15, 3419/0.11, 3420/0.11, 3421/0.23, 3426/0.26, 3427/0.13, 3428/0.13, 3429/0.13, 3430/0.13, 3500/0.14, 3404/0.27, 2802/0.24, 2806/0.16, 2817/0.19, 3400/0.15, 3400/0.19, 3432/0.26, 3434/0.23, 3439/0.21, 3414/0.13, 3444/0.15, 3447/0.11, 3450/0.13, 3497/0.05, 4240/0.16, 4214/0.16, 4310/0.26, 4314/0.36, 3442/0.19, 3443/0.13, 3481/0.29, 3482/0.26, 2525/0.43, 4216/0.23 हैक्ट0वाके ग्राम परमदरा तहसील डीग जिला भरतपुर मे स्थित है। विवादित आराजी बाबत् अधी0 न्यायालय के निर्णय से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई ।

बहस एकपक्षीय सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यो को दौहराते हुये निवेदन किया कि अपीलार्थीगण विवादित आराजी पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकारान की तलवी कराये केवल एक पक्षकार की उपस्थिति में बिना सहमति के राजस्व लोक अदालत कैम्प परमदरा में निर्णय कर दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। लोक अदालत में केवल सहमति के आधार पर ही निर्णय पारित किया जा सकता है। अपीलार्थी का कब्जा विवादित आराजी पर पूर्व से ही है। और रिसवरी के माध्यम से कब्जाधारी को कब्जे से वेदखल नही किया जा सकता। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

बचाव में वकील प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के क्रम में कब्जा तहसीलदार डीग द्वारा लिया जा चुका है। विवादित आराजी पर उभय पक्षकारो के बीच तनाजा है। एवं प्रत्यर्थीगण बेनामा के आधार पर विवादित आराजी पर रिकार्ड खातेदार है। उभय पक्षकारो के हक मूल वाद में ही तय होगे ऐसी दशा में रिसवरी आदेश को समाप्त किये जाने का कोई औचित्य नही है। अतः अपील खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये—

1— 2013 आर'.आर,टी, I 287

2— 2012 आर.आर.डी. 527

3— 2016 सी.सी.सी. I पेज संख्या 216

4— 2016 आर.आर.टी. I. 2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस उभयपक्ष के परिप्रेक्ष्य में दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी पर उभय पक्षकारान के हक निर्धारित होना शेष है। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षकारान की मौजूदगी मे निर्णय पारित किया है। रिसीवरी का मुख्य उद्देश्य मौके पर तनाजे को रोकना है और अधीनस्थ न्यायलय ने अपने न्यायिक बिवेक का प्रयोग करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि प्रकट नही होती है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि प्रकट नही होने के कारण खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत् रखा जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 07.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official